कार्यालय आयुक्त
केंद्रीय वस्तु & सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा कानपुर
117/7 , सर्वोदय नगर कानपुर

पत्र सं:I(22)20/प्रशा०/ऑडिट/हिंदी पत्रिका /2020

दिनांक : 25.11.2020

संशोधित निविदा सूचना

सूचित किया जाता है कि विभागीय हिंदी पत्रिका "त्रिपथगा" के भाग -3 का प्रकाशन होना है| अतः पत्रिका की 500 प्रतियाँ छापने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है |

उक्त कार्य करने की इच्छुक पार्टियाँ किसी भी कार्य दिवस पर सांय 03.00 से 05.00 बजे तक छपाई सामग्री से सम्बंधित जानकारी हेतु श्री अमरेश चन्द्र कुरील , सहायक आयुक्त (राजभाषा) से कार्यालय में अथवा मोबाइल सं: 8052888810 पर सम्पर्क कर सकते है |

सम्बंधित इच्छुक पार्टियों को अदेशानुशार निर्देशित किया जाता है कि पत्रिका प्रकाशित करने से सम्बंधित समस्त कार्यो का निष्पादन दिनांक 30.12.2020 तक किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तय समय पर पत्रिका का लोकार्पण किया जा सके|

कार्य करने की इच्छुक पार्टियाँ अपना सीलबंद कोटेशन हस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 09.12.2020 शाम 0.500 बजे तक अवश्य उपलब्ध करा देवे, इसके बाद किसी भी प्राप्त कोटेशन को विचार हेतु शामिल नहीं किया जाएगा |

अनुलग्नक:- "क" शर्तों की सूची |

ए० सी० कुरील
25/11/2020

सहायक आयुक्त
केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क
लेखापरीक्षा कानपुर

अनुलग्नक–'क'

विभागीय हिन्दी पत्रिका ''त्रिपथगा'' के भाग–3 का प्रकाशन से संबंधित विभिन्न शर्ते निम्न प्रकार से है:–

01. पत्रिका की कुल 500 प्रतियाँ छापी जायेंगी।
02. पत्रिका लगभग 150 पृष्ठों की होगी।
03. पत्रिका में लेखों के अतिरिक्त उपलब्ध कराये गये चित्र भी छपेगें।
04. पत्रिका के मुख पृष्ठ की डिजाईन कार्यालय द्वारा स्वीकृत करानी होगी।
05. पत्रिका के पृष्ठों की साज–सज्जा हेतु प्रत्येक पृष्ठ युग्म की आंतरिक डिजाइन भी संपादन दल से अनुमोदित करानी होगी।
06. पत्रिका के लेखों के टंकण का कार्य न्यूनतम अवधि में पूर्णकर संपादन दल को उपलब्ध कराना होगा ताकि प्रूफ रीडिंग एवं डिजाइनिंग का कार्य समयबद्व तरीके से पूरा किया जा सके।
07. पत्रिका के लेख एवं चित्र के प्रूफ संपादन दल से स्वीकृत कराने होगें।
08. पत्रिका के बारे में समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
09. पत्रिका की छपाई के पूर्व एक कलर्ड डमी भी कार्यालय से स्वीकृत करानी होगी।
10. पत्रिका दिनांक 30.12.2020 तक छप कर कार्यालय को यथासंभवतः प्राप्त हो जानी चाहिए।